124

VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
R N 27 AUG 2018 NO. 03
RECEIVED

SUBJECT:	ESSAY	Test Code:	1	0	7	6

Name of Candidate	सुनिल कुमार धनवन्ता							
Medium Hindi/Eng.	हिन्दी	Registration Number	1	0	9	5	0	6
Center	KB	Date	2	7	0	8	1	8

INDEX TABLE

Q. No.	Page No.	Maximum Marks	Marks Obtained

Total Marks Obtained:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. All questions are compulsory.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
3. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
4. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
5. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
6. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

सेक्शन A

संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार : बहुप्रतीक्षित सुधार

बदलाव प्रकृति का नियम है। प्रकृति समय के साथ अपनी संरचना एवं व्यवस्थाओं में निरन्तर बदलाव करती रहती है। इसी के बदलाव के कारण समाज एवं देशों की संरचना, प्रकृति, भूगोल, इतिहास इत्यादि में भी परिवर्तन होता है। इस बदलाव के साथ सामंजस्य रखने के लिए आवश्यक है कि समाज, देश एवं विश्व की संस्थाओं में सुधार एवं बदलाव किया जाए ताकि समाज को उनका अधिकतम लाभ पहुँचाया जा सके।

इसी प्रकार के एक सुधार की आवश्यकता संयुक्त राष्ट्र संघ में भी है जो लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। इन सुधारों की चर्चा करने से पहले हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानना समीचीन प्रतीत होता है।

UN की स्थापना 24 अक्तूबर, 1945 को

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

लीग ऑफ नेशन्स के स्थान पर की गई थी। वस्तुतः 'लीग ऑफ नेशन्स' संस्था अनेक कमियों एवं अक्षमताओं से ग्रस्त थी इन्हीं में सुधार के लिए UN की स्थापना की गई थी।

UN का एक चार्टर होता है जिसके प्रावधानों के माध्यम से यह अपने क्रियाकलापों का संचालन करता है।

UN के मुख्यतः पाँच अंग है तथा अनेक विशेषीकृत एजेंसियां है जो अपने अलग- अलग क्रियाकलापों के माध्यम से वैश्विक शांति एवं विकास को सुनिश्चित करने में अपना योगदान देती है। UN के मुख्य 5 अंग निम्नलिखित है-

(क) UN महासभा - यह UN की मुख्य संस्था है जिसमें विश्व के 193 देश शामिल है। यह अपनी बैठकों के माध्यम से कानून निर्माण का कार्य करती है।

(ख) UN सुरक्षा परिषद- UN की सर्वाधिक शक्तिशाली

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

संस्था है जो वैश्विक शान्ति एवं स्थिरता को बनाये रखने में अपना योगदान देती है। इसमें पाँच स्थायी सदस्य (U.S.A, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस) तथा 10 अस्थायी सदस्य है। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है।

(ग) UN सचिवालय - यह महासभा को प्रशासकीय कार्यों में सहयोग देने का कार्य करता है

(घ) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय - इसका मुख्यालय हेग में है तथा यह विभिन्न देशों के मध्य उपजे विवाद के समाधान का प्रयास करता है

(ङ) न्यास परिषद - विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि अब इसका इतना महत्त्व नहीं रहा है।

इस प्रकार UN विश्व के लगभग सभी देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था है जो विकसित एवं विकासशील देशों को विचार-विमर्श का मंच प्रदान कर वैश्विक शान्ति, सुरक्षा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्थिरता एवं विकास में अपना योगदान देती है परन्तु लम्बे समय से अनेक कारणों से इस संस्था में सुधारों की मांग की जा रही है ताकि इसे और अधिक लोकतांत्रिक, समावेशी एवं प्रासंगिक बनाया जा सके

सुधारों की आवश्यकता के कारण

→ वर्तमान विश्व द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों से बिलकुल अलग है तथा एक नये वैश्विक संतुलन को साधने के लिए संस्था में बदलाव जरूरी है

→ अनेक विद्वानों द्वारा इसकी संरचना, संगठन व निर्णय निर्माण को पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं माना जाता है अतः इस संस्था के प्रत्येक पहलू को लोकतांत्रिक बनाने के लिए संस्था में सुधार आवश्यक है

→ विश्व के सभी देशों एवं महाद्वीपों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने एवं निर्णय निर्माण में उनकी भूमिका में वृद्धि करने के लिए

→ समकालीन मुद्दों जैसे कट्टरवाद, आतंकवाद, संगठित अपराध इत्यादि से निपटने के लिए

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

~~अब अगर चर्चा~~

इन्हीं सभी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित सुधारों की समय-समय पर मांग की जाती रही है-

(क) महासभा में सुधार- वर्तमान में प्रमुख निर्णय केवल सुरक्षा परिषद द्वारा लिए जाते हैं तथा महासभा की शक्ति सीमित प्रतीत होती है अतः निर्णयों को लोकतांत्रिक एवं समावेशी बनाने के लिए महासभा द्वारा सर्वसम्मति एवं बहुमत से निर्णय निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए।

(ख) सुरक्षा परिषद में सुधार- UN की सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था होने के बावजूद इसके निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को विद्वानों द्वारा गैर-लोकतांत्रिक एवं गैर-समावेशी माना जाता है। इसमें प्रमुख निर्णय विश्व के केवल 5 शक्तिशाली देशों द्वारा लिए जाते हैं जिसमें अन्य देशों की कोई भूमिका नहीं होती है तथा साथ-~~साथ~~ही इन

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

देशों द्वारा अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति के लिए वीटो पावर का भी दुरुपयोग किया जाता है।

इसलिए सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित सुधार किए जाने की आवश्यकता है-

(i) सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि - सुरक्षा परिषद के वर्तमान स्थायी देश संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व नहीं करते। अफ्रीका जैसे इतने बड़े महाद्वीप का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। साथ ही लैटिन अमेरिका का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत, जापान, जर्मनी जैसे शक्तिशाली देशों का इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं है। अतः सभी क्षेत्रों के समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। इसी के साथ इसमें विकासशील देशों के प्रतिनिधियों को भी पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए।

(ii) वीटो पावर - वीटो पावर एक गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया

का संकेतक है अतः इसे या तो समाप्त कर देना चाहिए या फिर इसे बाकी सदस्यों को भी दिया जाना चाहिए

भारत समेत G-4 देश (जापान, जर्मनी, भारत, ब्राजील) सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु प्रयासरत है परन्तु कॉफी क्लब (इटली नेतृत्वकर्ता) के सदस्यों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। भारत ने हाल ही में संपन्न महासभा के अधिवेशन में भी UN में सुधार की मांग उठायी है तथा भारत विश्व के अनेक देशों के माध्यम से इस संबन्ध में सहमति बनाने का प्रयास कर रहा है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों की बाध्यकारिता होने के बावजूद शक्तिशाली देशों द्वारा इनका उल्लंघन किया जाता है। जैसे न्यायालय द्वारा दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पर चीन के विरुद्ध निर्णय दिया परन्तु चीन ने उसे मानने से मना कर दिया। अतः न्यायालय के निर्णयों को लागू करने हेतु बाध्यकारी प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा निर्णयों के उल्लंघन

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

की स्थिति में प्रतिबंधों को आरोपित करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(घ) इसी के साथ UN को वित्तीय फण्डिंग में भी सुधार किया जाना चाहिए। UN को अधिकांश वित्त संयुक्त राज्य अमेरिका व यूरोपीय देशों से प्राप्त होता है तथा ये देश इसकी कार्यप्रणाली को काफी प्रभावित करते हैं अतः इस प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है

(ङ.) इसके साथ UN की विशेषीकृत (specialised) एजेंसियों के कार्यों में परस्पर समन्वय का अभाव है तथा इनके पास वित्त एवं संसाधनों की कमी के कारण इनके कार्य प्रभावित होते हैं

इस प्रकार कहा जा सकता है कि UN में व्यापक सुधार समय की आवश्यकता है ताकि यह संस्था वर्तमान समस्याओं एवं चुनौतियों के समाधान में और अधिक प्रभावशाली साबित हो सके। UN में सुधार होने से निम्नलिखित सकारात्मक लाभ

मिलने की संभावनाए हैं-

→ इनके संस्था लोकतांत्रिक एवं समावेशी बनेगी जहां विश्व के प्रत्येक देश व क्षेत्र उचित एवं समतापूर्ण प्रतिनिधित्व होगा

→ इससे सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की मनमानी पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी तथा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को तार्किक एवं समावेशी बनाया जा सकेगा

→ समकालीन वैश्विक मुद्दों जैसे आतंकवाद, संगठित अपराध, जलवायु परिवर्तन, साइबर अपराध इत्यादि के समाधान में यह संस्था और अधिक प्रभावशाली साबित होगी

→ ICJ (अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय) के निर्णयों के क्रियान्वयन में सुधार के परिणामस्वरूप अनेक वैश्विक मुद्दों के समाधान में सहायता मिलेगी

→ विशेषीकृत एजेंसियों की कार्यप्रणाली में सुधार के माध्यम से इनके द्वारा चलाए जा रहे ~~कार्यों~~ कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

तथा विश्व में गरीबी, भूख, बेरोजगारी के उन्मूलन में सहायता मिलेगी तथा एक स्वस्थ एवं समावेशी विश्व का निर्माण होगा।

→ महासभा को शक्ति देने के परिणामस्वरूप निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में अविकसित देशों एवं छोटे देशों की सहभागिता में वृद्धि होगी तथा निर्णयों को और अधिक लोकतांत्रिक व समावेशी बनाया जा सकेगा।

उपर्युक्त लाभों के अतिरिक्त इन सुधारों के समक्ष अनेक चुनौतियाँ विद्यमान है जो लम्बे समय से इन सुधारों की राह में रोड़ा बने हुए हैं—

→ सुरक्षा परिषद के स्थायी एवं वीटो धारक सदस्य अपने विशेषाधिकारों को खोना नहीं चाहते तथा वैश्विक व्यवस्था पर अपना दबदबा कायम रखकर अपने हितों की पूर्ति किया जाना चाहिए

→ कॉफी क्लब के सदस्यों द्वारा G-4 के सदस्यों की सुरक्षा परिषद में सदस्यता का विरोध

करते हैं। इनका मानना है कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि से पहले इसकी संरचना व कार्यप्रणाली पर सहमति बनाना अत्यन्त आवश्यक है

→ सुरक्षा परिषद या किसी अन्य अंग की संरचना या कार्यप्रणाली में बदलाव करने के लिए 2/3 सदस्यों के बहुमत तथा सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों की सहमति आवश्यक है जो एक असंभव कार्य प्रतीत होती है

→ इसी के साथ विश्व के छोटे एवं अविकसित देशों के मध्य जागरूकता का अभाव है जो इनको सुधारों के प्रति असंवेदनशील बनाती है

इस प्रकार स्पष्ट है कि UN सुधारों की राह में अनेक चुनौतियाँ विद्यमान है जिनका उचित समाधान किए बिना सुधारों को सुनिश्चित करना अत्यन्त कठिन एवं असंभव कार्य प्रतीत होता है। इसलिए इन चुनौतियों के निपटान हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए—

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ वीटो धारक देशों को संपूर्ण विश्व के हितों की रक्षा हेतु अपने विशेषाधिकारों का त्याग करना होगा तथा बाकी सदस्यों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय निर्माण में शामिल होना होगा। इसके लिए विश्व के सभी देशों द्वारा इन देशों पर नैतिक दबाव बनाये जाने की आवश्यकता है

→ विश्व के विभिन्न बहुपक्षीय मंचों जैसे G77, गुट निरपेक्ष आंदोलन, अफ्रीकी विकास संघ, यूरोपीय यूनियन, आसियान इत्यादि के माध्यम से इन सुधारों हेतु सर्वसम्मति का निर्माण करना होगा तथा स्थायी सदस्यों पर नैतिक दबाव बनाना होगा

→ इसी के साथ सुधारों के संबन्ध छोटे व अविकसित देशों में जागरूकता का प्रसार करना होगा ताकि वे सभी एक साथ मिलकर सुधारों के लिए आवाज उठा सकें

→ विशेषीकृत एजेन्सियों के कार्यों में समन्वय का प्रयास करना होगा

~~इस प्रक्रिया~~

इस प्रकार उपर्युक्त सुधारों को गति देने में ये उपाय सहायक सिद्ध होंगे परन्तु इसके लिए सभी देशों को सर्वहित के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। इससे इस वैश्विक संस्था को तार्किक एवं अद्यतन (Updated) बनाया जा सकेगा जो अपनी प्रकृति में समावेशी व लोकतांत्रिक होगी।

सुधार के बाद यह संस्था समकालीन वैश्विक मुद्दों के समाधान में अधिक सक्षम व प्रभावशाली होगी।

UN ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वैश्विक शान्ति एवं विकास को सुनिश्चित करने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई है। अनेक विद्वानों का मानना है कि तृतीय विश्वयुद्ध न होने के पीछे इस संस्था की मौजूदगी है। अतः जरूरी है कि इस संस्था की इस महत्वपूर्ण भूमिका को आगे जारी रखने तथा इसे और प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें व्यापक सुधारों को शीघ्र अपनाना होगा जिसके लिए विश्व के सभी देशों को मिलकर कार्य करना होगा ताकि विश्व को समृद्ध, शान्तिपूर्ण एवं विकसित

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

बनाने में योगदान दिया जा सके तथा निम्नलिखित श्लोकों को सार्थक किया जा सके -

" वसुधैव कुटुंबकम"

" सर्वे भवन्तु सुखिन:, सर्वे सन्तु निरामया: ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चिद्दुखभाग भवेत् ॥"

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8

ग्रामीण भारत में महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता : मुद्दे, चुनौतियाँ तथा अवसर

"यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमन्ते तत्र देवता:"

उपर्युक्त श्लोक समाज एवं देश में महिलाओं के महत्व को प्रतिबिम्बित करता है तथा महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उनके सर्वांगीण विकास को महत्व देना होगा। वर्तमान में महिलाएं गर्भ के जीवन से लेकर मृत्यु तक अपने जीवन एवं अस्तित्व के लिए संघर्ष करती है। यदि सौभाग्य से वह जन्म लेने में सफल हो जाती है तो उसको फिर आगे के जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -IV की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति लाख जीवित शिशुओं पर मातृ मृत्युदर 167 है। इसी के साथ कुपोषण, एनीमिया इत्यादि के कारण भी हजारों की संख्या में महिलाओं

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मृत्यु प्रतिवर्ष होती है। माहवारी से सुरक्षा के संदर्भ में भारत में केवल 12% महिलाओं तक ही सैनिटरी नैपकिन की पहुँच है तथा सैकड़ों महिलाओं की इस दौरान अस्वास्थ्यकारी उपायों के प्रयोग के कारण मृत्यु हो जाती है। वहीं गाँवों में खाने पकाने के दौरान जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल के कारण श्वास की बीमारियों के कारण हजारों महिलाएं प्रतिवर्ष काल के गाल में समा जाती हैं। यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा और अधिक भयानक है।

इसलिए महिलाओं की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए उनके स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता इत्यादि पर बल दिया जाना अति आवश्यक है। यह ग्रामीण महिलाओं में ज्यादा समस्या है अतः ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य व स्वच्छता से संबन्धित मुद्दों, चुनौतियों एवं संभावनाओं की पहचान करना आवश्यक है ताकि महिलाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके एवं महिलाएं देश के विकास में अपना अपेक्षित योगदान दे सकें।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबन्धित अनेक मुद्दे है जिनमें मुख्य मुद्दे निम्नलिखित है

→ ग्रामीण महिलाओं को प्रसव के पूर्व स्वास्थ्य, टीकाकरण इत्यादि के संबन्ध में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान जटिल गर्भावस्था की वजह से जननी एवं शिशु दोनों को हानि हो सकती है।

→ प्रसव के दौरान संस्थागत प्रसव के अभाव के कारण मातृ मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर में वृद्धि

→ ग्रामीण महिलाओं को प्रसव के पश्चात उचित मात्रा में आराम एवं पोषण प्राप्त न होने के कारण कुपोषण, एनीमिया की समस्या

→ किशोरावस्था के दौरान उपयुक्त पोषण उपलब्ध ना होना

→ माहवारी के दौरान उचित सुरक्षा उपायों के न अपनाने के कारण अनेक रोगों का प्रसार एवं बांझपन का खतरा

→ ग्रामीण इलाकों में खाना पकाने के दौरान

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग के फलस्वरूप विभिन्न सांस की बीमारियाँ

→ समाज में पितृसत्तात्मक सोच के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति कम ध्यान

→ ~~[illegible]~~ सरकारी सुविधाओं एवं संस्थागत सुविधाओं से संबन्धित मुद्दें

→ बाल विवाह के कारण कम उम्र में माँ बनने पर स्वास्थ्य एवं जीवन दोनों को खतरा

→ गरीबी के कारण स्वास्थ्य देखभाल की अनदेखी

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामीण भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अनेक मुद्दें है जिनके बारे में विचार करना अत्यन्त आवश्यक है तथा शीघ्र समाधान अनिवार्य है परन्तु इनके समाधान के समक्ष अनेक चुनौतियाँ विद्यमान है जो निम्नलिखित है.

→ ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अभाव के कारण, जिसमें अस्पतालों की कमी, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की कमी इत्यादि प्रमुख है, महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है

→ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के कारण महिलाओं को किशोरावस्था एवं गर्भावस्था के दौरान उपयुक्त पोषण पदार्थों की सुनिश्चितता नहीं हो पाती जिसकी वजह से वे कुपोषण, रक्ताल्पता, एनीमिया इत्यादि रोगों से पीड़ित हो जाती है

→ ग्रामीण क्षेत्रों में माहवारी के संबन्ध में अनेक भ्रान्तियाँ प्रचलित है तथा इसके दौरान महिलाएं नैपकिन का इस्तेमाल करने के बजाय गन्दे कपड़ों, घास-फूस, पत्तों इत्यादि का प्रयोग करती है जो उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक होता है तथा यह अनेक बीमारियों का कारण बनने के साथ-साथ महिलाओं को बांझ बना सकता है। बॉलीवुड फिल्म [illegible] 'पैडमैन' में इस परिदृश्य को काफी अच्छी तरह से वर्णित किया गया है।

→ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के कारण लोगों को स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती और खाना पकाने के दौरान जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। इसके कारण कार्बन मोनो ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड जैसी गैसों के कारण महिलाओं को श्वास संबन्धी अनेक बीमारियों से ग्रसित होने का खतरा रहता है

→ ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक सोच ज्यादा प्रबल है जिसके कारण महिलाओं की स्वास्थ्य संबन्धी समस्याओं पर कम ध्यान दिया जाता है

→ प्रसव के दौरान उचित देखभाल ना मिलने के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य पर खतरा मंडराता है तथा इसके कारण अनेक महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है

→ ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक महिलाओं को प्रसव के पूर्व तथा प्रसव के बाद आराम की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। उनको प्रसव के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

तुरन्त बाद कार्य करना पड़ता है। इससे उचित आराम के अभाव के कारण व पोषण की न्यूनता के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

→ ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के स्वास्थ्य व स्वच्छता के संबन्ध में पर्याप्त जागरूकता का अभाव होता है जिससे समय पर उचित देखभाल न मिलने के कारण महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है

इसके अलावा भी अनेक और चुनौतियाँ विद्यमान है जो महिला स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समक्ष संकट प्रस्तुत करती है। अतः इन चुनौतियों के समाधान हेतु त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही अनिवार्य है। भारत सरकार ने इसी संबन्ध में समय-समय पर अनेक योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित है-

→ आयुष्मान भारत स्कीम, जिसके अंतर्गत 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा तथा 1.5 लाख स्वास्थ्य कल्याण केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है, के द्वारा

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

ग्रामीण भारत में अवसंरचनात्मक सुधार होगा तथा गरीबों तक ~~स्वास्थ्य~~ स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और अधिक सरल होगी

→ राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत एनीमिया, स्थूलता, कुपोषण इत्यादि को कम करने पर बल दिया जा रहा है

→ जननी व शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत संस्थागत प्रसव एवं प्रसूती के पोषण पर ध्यान दिया जा रहा है

→ समन्वित बाल विकास योजना (ICDS) ~~का~~ के अंतर्गत किशोरियों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण पर ध्यान दिया जा रहा है

→ ग्रामीण सेवा केन्द्रों (CSC) के माध्यम से 'सुविधा' स्कीम के तहत सैनिटरी नैपकिन बनाने एवं उनके वितरण पर बल

→ उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में LPG सिलेण्डरों व चूल्हों का वितरण जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु अत्यंत लाभकारी होगा

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ किशोरियों को आयरन व फोलिक एसिड की गोलियों का वितरण

→ प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना

→ PM वय वन्दना योजना के तहत बच्चे के जन्म पर 6000 रुपये देना ताकि माता व बच्चे के पोषण व स्वास्थ्य पर खर्च किया जा सके

→ महिला शक्ति केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न मुद्दों पर सलाह उपलब्ध करवाना

परन्तु उपर्युक्त योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन अति आवश्यक है तभी इनका उद्देश्य प्राप्त हो पाएगा। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं-

(i) विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए जनता में व्यापक जागरूकता का प्रसार

(ii) माहवारी के संबन्ध में ~~माहवारी~~ भ्रान्तियों की समाप्ति के लिए शिक्षा व जागरूकता का प्रसार

(iii) अधिक सटीक परिणामों की प्राप्ति हेतु

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सिविल समाज व जनभागीदारी अत्यन्त आवश्यक

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन का प्रयास करना

इस प्रकार के उपायों के अतिरिक्त भी अनेक स्तरों पर अनेक प्रयास किए जा सकते हैं। इससे महिला स्वास्थ्य व स्वच्छता को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके निम्नलिखित लाभ हो सकते है -

→ महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के फलस्वरूप वे और अधिक सक्रियता से श्रमबल में भागीदार हो सकेंगी इससे आर्थिक विकास को तीव्रता मिलेगी

→ एक स्वच्छ व स्वस्थ महिला सम्पूर्ण परिवार के स्वास्थ्य की कुंजी मानी जाती है अतः महिलाओं के स्वस्थ होने पर पारिवारिक स्वास्थ्य में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगी

→ भारत की कुल आबादी का लगभग 48% महिलाएं है जिनकी क्षमताओं का दोहन करने के लिए उनके स्वास्थ्य का सही होना आवश्यक है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ महिला स्वास्थ्य व स्वच्छता में सुधार होने से मानव विकास सूचकांक में सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है जिससे भारत की वैश्विक छवि में सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावनाएं हैं

→ प्रसव के दौरान महिला स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर बाल मृत्यु दर को भी कम किया जा सकता है

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारत में ग्रामीण महिलाओं के समक्ष अनेकों समस्याएं विद्यमान हैं जो उनके जीवन व अस्तित्व के समक्ष अनेक चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। अत: इनका निवारण करना अति आवश्यक है जिसके लिए सरकारी स्तर, सामाजिक स्तर, व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है तथा इसमें सिविल समाज की उपयुक्त भागीदारी भी अनिवार्य है। सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के अभाव के कारण इनका लाभ उपयुक्त लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाता। इसके लिए आधार लिंक, सामाजिक लेखा परीक्षण इत्यादि नवाचारी उपायों का प्रयोग किया

जाना चाहिए। कोई भी योजना तब तक सफल नही हो सकती जब तक कि समाज एवं लोग उसके बारे में जागरूक न हो। अतः महिला स्वास्थ्य व स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा व जागरूकता का प्रसार करना अत्यन्त आवश्यक है तभी देश की आधी आबादी का कल्याण होगा और मानव विकास में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा।

अन्त में बाबा साहेब अम्बेडकर की निम्नलिखित पंक्तियों पर गौर करना अत्यन्त आवश्यक है-

"यदि किसी देश की प्रगति का मापन करना हो तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति का मापन करके पता लगाया जा सकता है।"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Essay 2:

ग्रामीण भारत (महिला स्वास्थ्य) / स्वच्छता | मुद्दे, चुनौतियाँ, अवसर

प्रस्तावना - श्लोक

→ NFHS - MMR → 167/लाख | सैनेटरी नैपकिन तक पहुँच - 1%. | SUVIDHA ऑक्सोबायोडिग्रेडेबल सैनेटरी

→ जन्म के पश्चात की समस्या

→ महावारी के दौरान

मुद्दे —
- → प्रसव के दौरान, प्रसव पूर्व, प्रसव बाद समस्याएं
- → पोषण की समस्याऐं - कैलोरी, एनीमिया इत्यादि
- → माहवारी (मासिक धर्म स्वास्थ्य) / किशोरावस्था
- → ईंधन (लकड़ी जलाना)
- → पितृसत्तात्मक सोच → महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल कम

काला विषय

चुनौतियाँ —
- → कुपोषण की दर, एनीमिया की दर
- → मातृ मृत्यु दर व प्रजनन स्वास्थ्य
- → मासिक धर्म
- → संस्थागत चुनौतियाँ - अस्पतालों की कमी, प्राथमिक चिकित्सकों की कमी
- → महावारी के संबंध में भ्रांतियाँ (गरीबी के कारण नैपकिन नहीं खरीद पाती)
- → गरीबी के कारण लकड़ी जलाना
- → पितृसत्तात्मक सोच
- → जागरूकता व शिक्षा का अभाव

उपाय —
- → संवैधानिक उपाय
- → योजनाएं
- → गरीबी कम करना
- → जागरूकता का प्रसार - भ्रांतियों को दूर करना

योजनाएं
- आयुष्मान भारत
- ✓ पोषण मिशन
- ✓ जननी शिशु सुरक्षा अभियान
- ✓ ICDS
- ✓ सैनिटरी नैपकिन
- ✓ उज्ज्वला योजना
- ✓ स्वच्छ भारत (शौचालय)
- ✓ प.मुहीम
- ✓ प्रधानमंत्री वंदना योजना
- ✓ मातृत्व लाभ अधिनियम
- ✓ महिला शक्ति केंद्र
- CSC

→ अम्बेडकर का कथन

COP↑

श्रम बल में भागीदारी →

→ संभावनाएं —
- → महिला सुरक्षित → बच्चा सुरक्षित
-

UN सुधार: प्रस्तावना

→ UN परिचय-
- स्थापना
- प्रमुख अंग - (5)
- प्रतिनिधित्व (193 देश, पाँचों महाद्वीप)
- विकासशील व विकसित देश (दक्षिण तथा उत्तर)

→ आवश्यकता क्यों?
→ बदला परिवेश (द्वितीय विश्वयुद्ध → वर्तमान)
→ लोकतांत्रिक बनाना (संरचना गठन, निर्णय निर्माण इत्यादि)
→ प्रतिनिधित्व - क्षेत्रीय, देशीय प्रतिनिधित्व (विकसित बनाम विकास)
→ समावेशी बनाना
→ नये मुद्दे - आतंकवाद, संगठित अपराध, तस्करी

→ प्रमुख सुधार-
(i) सुरक्षा परिषद -
→ संरचना - स्थायी व अस्थायी — G4 - भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील; G-77; कॉफी क्लब
→ वीटो पावर
→ क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व — भारत → पक्ष, → विपक्ष
→ अंगों में सुधार
→ निर्णय निर्माण में सुधार - द. चीन मुद्दा इत्यादि, सीरिया, यमन मुद्दा
→ फंडिंग में सुधार (विकसित बनाम विकासशील)
→ अनुदान व्यवस्था में सुधार - सही लक्ष्यीकरण
→

ट्रस्टीशिप काउंसिल

* महासभा सुधार - शांति सेना / कार्यबल व वित्त कमी
ICJ - बाध्यकारी निर्णय देना (चीन मुद्दा)

→ सकारात्मक पक्ष / लाभ

→ चुनौतियाँ -
→ वीटोधारक
→ कॉफी क्लब
→ महासभा - 2/3 बहुमत आवश्यक

→ आगे की राह -
→ वीटोधारकों द्वारा त्याग
→ सर्वसम्मति का निर्माण (G77, NAM, AfDB, इत्यादि)
→ नये मुद्दों का समाधान

UN की भूमिका में सुधार के सुझाव